बुधवार
15 फ़रवरी 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

[भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही]

खण्ड १, १९५६

(१५ फरवरी से ३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

[खण्ड १ में अंक १ से १५ तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व)
अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)
अचलू, श्री सुकुम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अचित राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगनूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजित सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा—पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)
अमीन, डा० इन्दु भाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)
अमृतकौर, राजकुमारी (मण्डी—महासु)
अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री० सी० आर० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली—पश्चिम)
आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्णिया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकिम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फाज़िल्का—सिरसा)
इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर—पूर्व)
इलयापेरुमाल, श्री एल० (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातिया)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्निया—उत्तर—पूर्व)

ई

ईयाचरण, श्री आई० (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रताप गढ़—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)
उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
एवनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचेंगोड)
कक्कन, श्री पी० (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद उत्तर—पश्चिम)
कयाल, श्री पारेशनाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, हिज़ हाइनैस महाराजा श्री बहादुर आफ़ बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा—झालावाड़)
काचिरोयर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मुहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फैज़ाबाद—दक्षिण-पश्चिम)
काजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराज नामदेवराव पार्थाकर (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य जे० बी० (भागलपुर पूर्निया)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० बी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)
केशवैवंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

क—(क्रमशः)

केसकर, डा० बी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)
कौट्टुकपल्ली, श्री जार्ज टामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)
खंडेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)
खाँ, श्री शाहनवाज़ (ज़िला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खडकर, श्री गोपाल राव बाजीराव (बुडनाला-अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री रामप्रताप (पटियाला)
गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाडिलिंगन गौड़, श्री (कुरनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गिडवानी, श्री चोइथ राम प्रताबराय (थाना)
गिरधारी भोय, श्री (कालार हांडी—बोलनगिरि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गिरि, श्री बी० वी० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त, श्री राम किशन (महेन्द्रगढ़)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहिन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिमजाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)
गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिमी—दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती ए० एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चांड़क, श्री बी० एल० (बेतूल)
चाड़क, ठाकुर लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर—उत्तर—लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० एं० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हज़ारी बाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर—सवाई, माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामउ व हज़ारी बाग़ व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकानाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरण (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

ज–(क्रमशः)

जोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि—दक्षिण)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसीप्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)
टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूल सिंह जी० बी० (कैरा—उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिमय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन—दक्षिण)
तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर—दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री वैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फर्रुखाबाद—दक्षिण)
तुलसी दास किलाचन्द, श्री (मेहसाना—पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ्फरनगर—दक्षिण)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री जीं० डी० (बारगढ़)
थामस, श्री ए० एम० (एरणाकुलम्)
थामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुंठम)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

द–(क्रमशः)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दामोदरन्, श्री नेत्र पी० (तेल्लिचेरी)
दामोदरन्, श्री जी० आर० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री बी० (जाजपुर–क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामा नन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दीवान, श्री राघवेन्द्र राव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी—बोलनगिर)
देवगम, श्री कान्हू राम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)
देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभोई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धूलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित ज़ातियां)
धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री एस० एस० (श्रीविल्लीपुन्तूर)

न–(क्रमशः)

नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णागिरि)
नरसिंहन्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दू शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजमंद्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरनयिंकील)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़—दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती [लखनऊ (मध्य)]
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुर भाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटाराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पांडे, श्री बद्रीदत्त (ज़िला अल्मोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पांडे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर—दक्षिण)
पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकर गौड़ बीरंगौड़ (बेलगांव—दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरभरी (झालावाड़)

प–(क्रमशः)

पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारी लाल (मेहसाना—पूर्व)
पाल चौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पि)
पोकर साहब, श्री बी० (मल्लपुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिव नारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर–झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री एस० सी० (ईरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम्, श्री एस० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)
बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टम्)
बूवराघस्वामी, श्री वी० (पैरम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोगावत, श्री य० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूया बाई (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम—उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनूसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)

भ—(क्रमशः)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना—अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भड़ौंच)
भवनजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़–जालोर)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत-माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बासवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरि—उत्तर)

म

मंडल, पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री यू० श्रीनिवास (दक्षिण कन्नड़—उत्तर)
मसुरियादीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा कांश्मीर)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महताब, श्री हरे कृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरि (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)
मादिया गौडा, श्री (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजपुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मावलंकर, जी० वी० (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भुपेन्द्र नाथ (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

म–(क्रमशः)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया—उत्तर)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन सहाय (दरभंगा—उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)
मुक्णे, श्री वाई० एम० (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री एम० (वैल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कुम्बकोणम्)
मुनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिवाश)
मुनिस्वामी, श्री वी० (तिंडीवनम्)
मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पुर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद शफ़ी, चौधरी (जम्मू और काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)
मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मैथ्यू, श्री सी० पी० (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैया, श्री कोठा (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा—पूर्व)
रजमी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री एम० हिफ्जुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

र–(क्रमशः)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपति वैंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राज बहादुर, श्री (जयपुर—सवाई-माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग़—पश्चिम)
राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री एम० डी० (अरुपुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्ग)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजामुंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलुरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कन्नड़—दक्षिण)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित—अण्दमान तथा निकोबर द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीर किशोर (कटक)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

र–(क्रमशः)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम्, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री आर० (तंजोर)
वैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्कारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपांडियन्, श्री म० (शंकरनायिनार–कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (ज़िला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, पंडित बाल कृष्ण (ज़िला कानपुर—दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)

श–(क्रमशः)

शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना—भिंड)
शास्त्री, श्री अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल—सिद्धि)
शास्त्री, श्री राजाराम (ज़िला कानपुर—मध्य)
शाह, हर हाईनैस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहलवाड़—सोरठ)
शाह, श्री रायचन्दभाई एन० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग—बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामुलक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर—सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडीकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुज़फ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (ज़िला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (सारन—मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुज़फ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाज़ीपुर—पूर्व व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्य नारायण (सारन—पूर्व)

स–(क्रमशः)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला—गाज़ीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हसन—चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुज़फ्फरपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामाऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फरनगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुब्रह्मण्यम् चेट्टियार, श्री (धर्मपुर)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमूर)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौरपाली)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंसदा, श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरि मोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जाातया)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर–झाड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० बी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेंद्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री ए० एम० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगील
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार **(सभापति)**
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
श्री आर० वेंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री ए० के० गोपालन
आचार्य जे० बी० कृपालानी
श्री एस० एस० मोरे
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्री नेमि सरन जैन
श्री राम सहाय तिवारी
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा के बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर **(सभापति)**
श्री गणेशीलाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री बी० एल० चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेंद्र नाथ सिंह
श्री शिव राम रंगो राने
श्री फूलसिंह जी० बी० डाभी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री यू० एम० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दु मति शाह
श्री सी० आर० चौधरी
श्री के० एम० वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी **(सभापति)**
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री टी० बी० विट्ठल राव

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—(क्रमशः)

श्री के० ए० दामोदर मेनन
श्री ए० ई० टी० बैरो
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री सी० पी० मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भूपेंद्र नाथ मिश्र
श्री आर० वेंकटरामन
पंडित लिंगराज मिश्र

लाभपदों सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

पंडित ठाकुर दास भार्गव **(सभापति)**
श्री वी० बी० गांधी
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० रघुरामय्या
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री आर० वी० धुलेकर
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री एस० एस० मोरे
श्री कमल कुमार बसु
श्री एम० रामशेषय्या

राज्य-सभा

श्री एम० गोविन्द रेड्डी
काज़ी करीमुद्दीन
श्री अमोलख चन्द
प्रो० जी० रंगा
श्री राजेंद्र प्रताप सिंह

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया **(सभापति)**
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री के० टी० अच्युतन
श्री सोहन लाल धूसिया
श्री एस० सी० देव

याचिका समिति—(क्रमशः)

श्री लीलाधर जोशी
श्री यू० आर० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री रामराज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पी० एन० राजभोज
श्री पी० सुब्बाराव
श्री आनन्द चन्द
डा० चौ० वी० रामा राव
श्री रामजी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार **(सभापति)**
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गनेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेंद्र पी० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री एन० राचैय्या
डा० नटवर पांडे
श्री भवानी सिंह
श्री टी० बी० विट्ठल राव
श्री सी० माधव रेड्डी
श्री एन० श्रीकान्तन नायर

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री एन० सी० चटर्जी **(सभापति)**
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम
श्री ए० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--- (क्रमशः)

श्री हेम राज
श्री एच० सिद्धनंजप्पा
डा० ए० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेंद्र नाथ मुकर्जी
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता **(सभापति)**
श्री टी० मादिया गौडा
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री ललित नारायण मिश्र
श्री एम० आर० कृष्ण
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
डा० राम सुभग सिंह
श्री राघवेंद्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
कर्नल बी० एच० जैदी
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्री वैंकटेश नारायण तिवारी
श्री गोविन्द हरि देशपांडे
श्री बी० एल० चांडक
श्रीमती बी० खोंगमेन
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री बी० एस० मूर्त्ति
श्री के० एस० राघवाचारी
श्री सी० आर० चौधरी
श्री वी० पी० नायर
श्री भवानी सिंह
श्री पी० एन० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री पी० सुब्बा राव

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री जी० वी० मावलंकर **(सभापति)**
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री उपेंद्र नाथ बर्मन
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री बी० जी० मेहता
श्री वी० बी० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामैया
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री जी० एस० आल्तेकर
श्री यू० एस० मल्लय्या
श्री ए० के० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य जे० बी० कृपालानी
श्री उमा चरण पटनायक
डा० ए० कृष्णस्वामी

आवास समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या **(सभापति)**
श्री बीरबल सिंह
श्री राधाचरण शर्मा
श्री जार्ज थामस कौट्टुकपल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचाय जोशी
श्री एन० सोमना
श्री भूपेंद्र नाथ मिश्र
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी काचिरोयर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह **(सभापति)**
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले

श्री गोविन्द हरि देशपांडे
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

बेगम एज़ाज़ रसूल
श्री एच० सी० दासप्पा
श्री डी० नारायण
श्री एच० सी० माथुर
श्री आर० पी० एन० सिन्हा

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार **(सभापति)**
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेंद्र नाथ मुकर्जी
श्री वी० एन० तिवारी

राज्य-सभा

श्री वी० के० धागे
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर
डा० श्रीमती सीता परमानन्द

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री वी० बी० गांधी **(सभापति)**
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री कमल कुमार बसु
श्री रामानन्द दास
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० जी० देशमुख

लोक लेखा समिति—(क्रमशः)

श्री बलवन्त सिंह मेहता
श्री सी० डी० पांडे
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड
श्री उमा चरण पटनायक
श्री वी० बूवराघस्वामी
डा० इन्दुभाई बी० अमीन

राज्य-सभा

श्रीमती वायलेट आल्वा
दीवान चमन लाल
श्री राम प्रसाद टामटा
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू
श्री मोहम्मद वलीउल्ला
श्री वी० के० धागे
श्री बी० सी० घोष

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर **(सभापति)**
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री एन० केशव अय्यंगार
श्री शिवराम रंगो राने
श्री घमंडी लाल बंसल
श्री खुशीराम शर्मा
श्री कोत्ता रघुरामैय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री भवानी सिंह
श्री कमल कुमार बसु
श्री के० एस० राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री
—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबल कलाम आज़ाद

मंत्रिमंडल के सदस्य—(क्रमशः)

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

वित्त मंत्री—श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

रक्षा मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू

वाणिज्य तथा उद्योग और लोहा तथा इस्पात मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिस्वास

रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

श्रम मंत्री—श्री खंडूभाई देसाई

बिना विभाग के मंत्री—श्री वी० के० कृष्ण मेनन

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

रक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव एस० देशमुख

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सैयद महमूद

विधि-कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर

प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० डी० मालवीय

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री एम० सी० शाह

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

संचार मंत्रालय में मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह मंत्रालय में मंत्री—श्री बी० एन० दातार

उपमंत्री

रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

पुनर्वास उपमंत्री—श्री जगन्नाथ कृष्णराव भोंसले

रेल तथा परिवहन उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन

स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री एम० वी० कृष्णप्पा

उपमंत्री—(क्रमशः)

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी

उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

शिक्षा उपमंत्री—डा० के० एल० श्रीमाली

वित्त उपमंत्री—श्री बलि राम भगत

सभा-सचिव

वैदशिक-कार्य मंत्री की सभा-सचिव—श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव—श्री शाहनवाज़ खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव—श्री राजाराम गिरधारी लाल दुबे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री जी० राजगोपालन

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव—डा० मनमोहन दास

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १५ फरवरी, १९५६

लोक-सभा १२ बज कर १० मिनट पर समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय श्री एम० ए० आय्यंगार** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव** : मैं १५ फरवरी, १९५५ को राष्ट्रपति द्वारा, संसद् के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सामने दिये गये अभिभाषण की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

राष्ट्रपति—संसद् के सदस्यगण, संसद् के इस नये सत्र के समय एक बार फिर आपका स्वागत करते हुये मुझे खुशी हो रही है । घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों मामलों की दृष्टि से गत वर्ष हमारे लिये सतत प्रयत्न और सफलता का रहा है । भारतीय जनता और संसद् सकारण विगत वर्ष के प्रयत्नों और सफलताओं को संतोष तथा सतर्क आशा के साथ देख सकते हैं । फिर भी, बाहरी जगत में और देश में कुछ ऐसी घटनायें अवश्य घटी हैं जिन से हमारा शंकित हो जाना स्वाभाविक है । इन घटनाओं का हमें साहस, धैर्य तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ सामना करना चाहिये । साथ ही ये इस बात की चेतावनी भी देती हैं कि हमें न तो निराश होना चाहिये और न पूर्ण संतोष मान लेना चाहिये ।

विदेशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण बने हैं । गत वर्ष में बहुत से देशों के साथ हमारे सहयोग और सद्भावना में वृद्धि हुई है और इस दिशा में हम जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेशी राष्ट्र अब उसका अधिक आदर करने लगे हैं । बहुत से देशों से इस वर्ष हमारे देश में सम्मानित अतिथि आये जिनमें राष्ट्रों के अधिपति, प्रधान मंत्री और विदेशी मंत्री शामिल हैं । हम ने इन महानुभावों का सहर्ष स्वागत किया । हमारे प्रधान मंत्री ने सरकारी रूप से सोवियत संघ, चैकोस्लोवेकिया, पोलैंड, आस्ट्रिया, युगोस्लाविया, इटली और मिश्र की सद्भावना-यात्रा की ।

स्वर्गीय महामहिम महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नेपाल नरेश की मृत्यु से हमें भारी वेदना हुई । उनके निधन से हमारा देश एक सच्चे मित्र और नेपाल एक प्रबुद्ध तथा साहसी नरेश से

†मूल अंग्रेजी में

वंचित हो गया है। हाल ही में महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह तथा महिष्मती साम्राज्ञी के इस देश में आगमन से भारत और नेपाल के लोगों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी अधिक दृढ़ हो गये हैं। मैं यह कामना करता हूं कि महामहिम का राज्यकाल उन्नति तथा संपन्नता का सूचक हो।

भारत तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रेलमार्ग खोलने और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य पारपत्र सम्बन्धी नियमों को अधिक ढीला करने के लिये पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत सफल रही है। नहर के पानी के सम्बन्ध में झगड़ों का निपटारा करने के लिये बातचीत अभी भी जारी है। स्थानान्तरित लोगों की चलसम्पत्ति के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है।

पूर्वी पाकिस्तान से लोगों की निकासी और उनका भारत में आगमन हाल में बहुत बढ़ गया है, जिससे हमें चिन्ता होती है। यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है जिसका असंख्य लोगों पर दुखद प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य पर आगे ही अत्यधिक भार है, अब उसे और भी अधिक भार वहन करना पड़ रहा है। मेरी सरकार बराबर आशा करती रहेगी कि पाकिस्तान की सरकार उन कारणों को दूर करने के लिये यथोचित कार्यवाही करेगी जिनके कारण यह निकासी हो रही है।

मेरी सरकार को दुख है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिये हमारे शांतिपूर्ण सुझावों के बावजूद, पुर्तगाल सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई और वह सरकार दमन और आतंक की उपनिवेशवादी नीति का बराबर आश्रय ले रही है। मेरी सरकार को इस बात का बहुत क्षोभ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव ने इस सम्बन्ध में बोलते हुये पुर्तगाली बस्तियों को पुर्तगाल के प्रांत कहा जिससे इस बात का भ्रम होता है मानो वे बस्तियां पुर्तगाल देश का एक अंग हों।

एशिया और अफ़्रीका के देशों का जो सम्मेलन बांडुंग में हुआ था, जिसमें २९ राष्ट्रों ने भाग लिया, उसका स्वागत न केवल एशिया में एक महान घटना के रूप में किया गया बल्कि उसे संसार की एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। बांडुंग में जो ऐतिहासिक महत्व की घोषणा हुई और जिसकी ओर विश्व का काफ़ी ध्यान गया है, उसके अनुसार सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों पर यह दायित्व आता है कि वे सभी समस्याओं को सुलझाने के लिये और विश्व में शांति और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिये शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और नीति को अपनावें।

मेरी सरकार को आशा है कि अफ़्रीका में गोल्ड कोस्ट में शीघ्र ही स्वाधीनता और स्वशासन की स्थापना हो सकेगी और वह देश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में अन्य देशों के साथ बराबर का हिस्सेदार हो सकेगा। पश्चिमी अफ़्रीका के अन्य भागों में भी कुछ कुछ इसी प्रकार की घटनायें घट रही हैं और मेरी सरकार को आशा है कि उन्नति की इस प्रवृत्ति को समुचित प्रोत्साहन मिलेगा और गोल्ड कोस्ट का उदाहरण अफ़्रीका के उन भूभागों को भी प्रभावित करेगा जो आजकल औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत हैं। मलाया में भी इसी प्रकार की प्रगति का हम स्वागत करते हैं।

हम स्वाधीन तथा स्वतन्त्र गणतन्त्र के रूप में सूडान का स्वागत करते हैं और इस प्रक्रिया में मिश्र तथा ब्रिटेन ने जो महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक योग-दान दिया है उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरी सरकार ने सूडान गणराज्य के साथ अन्त:राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। मिश्र के साथ भी हमने मैत्री की संधि की है।

मेरी सरकार ने उन सभी राष्ट्रों के साथ सहानुभूति प्रकट की है जो औपनिवेशिक शासन के चंगुल से निकल स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन में विशेष रूप से ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरोक्को

की जनता शामिल है । मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि शांतिपूर्ण बातचीत और आपसी समझौते से ही इन समस्याओं को सफलतापूर्वक और उचित ढंग से सुलझाया जा सकता है ।

संयुक्त राष्ट्र का हाल का सत्र इस बात के लिये महत्वपूर्ण रहा है कि सदस्यता के आधार को अधिक व्यापक करने के सम्बन्ध में जो अड़चनें थीं वे दूर हो गईं और इस बार सोलह नये राष्ट्र सदस्य के तौर पर स्वीकार किये गये हैं । हमें इस बात की विशेष खुशी है कि दूसरे देशों के साथ हमारे निकट पड़ोसी, नेपाल और लंका तथा कम्बोडिया, लाओस, लीबिया और जोर्डन भी इन राष्ट्रों में शामिल हैं । हमें इस बात का बहुत दुख है कि जापान और मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये अभी भी उम्मीदवार ही हैं । इस समस्या को सुलझाने का मेरी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी और निकट भविष्य में सूडान के प्रवेश की भी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है ।

मेरी सरकार को इस बात का दुख है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा चीन के बीच मत-भेदों को दूर करने के लिये गत वर्ष जो प्रयत्न किये गये थे, और इस दिशा में जो प्रगति हुई थी, वह आगे नहीं बढ़ सकी है । आपसी बातचीत के द्वारा समझौता न होने के जो संभाव्य दुष्परिणाम हैं, वे मेरी सरकार के लिये चिन्ता का विषय हैं । शांतिपूर्ण बातचीत के लिये मेरी सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी ।

इन्डोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने, कुछ दुर्घटनाओं के बावजूद, देख-रेख और नियंत्रण के काम में उचित संतोषजनक प्रगति की है । जेनीवा में महान शक्तियों ने तथा इन्डोचीन से सम्बद्ध दूसरे पक्षों ने जिन राजनैतिक निपटारों को स्वीकार किया था, वियतनाम के प्रश्न को लेकर वे अब आपत्ति में हैं । लाओस के सम्बन्ध में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । आयोग द्वारा देख-रेख और नियन्त्रण के कार्य पर भी इस समस्या का प्रभाव पड़ा है । मेरी सरकार को आशा है कि सभी सम्बन्धित पक्ष, जेनीवा सम्मेलन के दोनों अध्यक्ष तथा अन्य राष्ट्र इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि न केवल युद्धबन्दी बनी रहे, बल्कि वास्तविक राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सके, जिससे कि उन सभी देशों का कल्याण हो और एशिया की स्थिति अधिक स्थायी हो सके और संघर्ष का संकट, जिसकी सीमायें सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होतीं, टल सके ।

संयुक्त राष्ट्र से चीन का बहिष्कार और उसके विरुद्ध व्यापार-सम्बन्धी प्रतिबन्ध, सुदूरपूर्व में और साधारणतः एशिया में, अस्थायित्व तथा संघर्ष की ओर प्रेरित करते हैं । मेरी सरकार अन्य राष्ट्रों के सहयोग से, जो हमसे सहमत हैं, संयुक्त राष्ट्र में तथा उससे बाहर इस स्थिति में सुधार करने की अधिक से अधिक चेष्टा करेगी जो स्थिति विश्व-शांति के लिये संभवतः गंभीरतम संकट है ।

सब मिला कर, गत वर्ष संसार की स्थिति में, विभिन्न गति-विधियों तथा सम्मेलनों, विशेष रूप से चार सरकारों के अध्यक्षों के सम्मेलन के फलस्वरूप, काफी सुधार हुआ है । मुझे खेद है कि यह प्रगति जारी नहीं रह सकी और इसमें इधर कुछ न्यूनता आई है । निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में वास्तव में हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सके हैं और न ही शीत-युद्ध के भय से उत्पन्न तनाव को दूर कर सके हैं । हमारे देश के अन्य देशों के साथ बराबर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे किन्तु, विश्वशांति की स्थिति में जो बिगाड़ हुआ है उसके कारण दुनियां के दूसरे-भू-भागों में भी शांतिपूर्ण सम्बन्धों और पारस्परिक सहयोग की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

शक्ति के संतुलन और आपसी सन्देह और भय पर आधारित सैनिक संधियों की नीति से, विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में, स्थिति बिगड़ी है, जिसके कारण अरब राष्ट्र दलों में बट गये हैं और पश्चिमी एशिया के राष्ट्र शस्त्रास्त्र जुटाने लगे हैं । इसके कारण अपनी सीमाओं के निकट हमें भी चिन्ता हुई है । बग़दाद की संधि से भी हमें बहुत खेद हुआ है, जैसा हमें दक्षिणपूर्व एशिया-सुरक्षा-संघ से हुआ था ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अब समाप्त होने को है और मेरी सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में व्यस्त रही है । पहली योजना की सफलता से लोगों में विश्वास की भावना का उदय

हुआ है और उसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति की नींव रखी जा चुकी है। पहली योजना के लक्ष्य से कई विषयों में हम आगे बढ़ गये हैं और राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पत्ति में ४३ प्रतिशत की और कृषि द्वारा उत्पादन में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह विशेष संतोष की बात है कि अन्न का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ गया है—और यह जबकि विध्वंसकारी बाढ़ ने उत्तर भारत और तूफान ने दक्षिण भारत में बड़ी बरबादी की। इन विपत्तियों के कारण क्षति की पूर्ति में सरकार ने और उससे भी अधिक लोगों ने जो काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूं।

हमारा ध्येय इस देश में समाजवाद के नमूने पर समाज की व्यवस्था करना है और विशेष रूप से उत्पादन को इस प्रकार बढ़ाना है कि देश शीघ्र से शीघ्र समुन्नत हो सके। लोगों के लिये अधिक रोज़गार उपलब्ध करने का प्रश्न असाधारण महत्व का है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक विस्तार पर, विशेषकर आधारभूत उद्योगों और मशीनों के निर्माण के उद्योग के विकास पर, अधिक जोर दिया गया है। हमने तीन बड़े लोहे और इस्पात के कारखाने और भारी बिजली कलों के तैयार करने वाले कारखाने खोलने का निश्चय किया है। बड़े पैमाने पर देश के खनिज पदार्थों का पर्यवेक्षण किया जायगा जिससे कि देश में निहित साधनों को उपयोग में लाया जा सके। लोगों को अधिक रोज़गार दिलाने और कई प्रकार का उपभोग का सामान पैदा करने की दृष्टि से, उत्पादन की उन विधियों पर अधिक ज़ोर दिया जायगा जिनमें अधिक से अधिक हाथ खप सकें। विशेषकर कुटीर और ग्रामोद्योगों पर भरोसा किया जायेगा। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के फलस्वरूप देश के बहुत से देहातों में पहले ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। ये योजनायें बराबर जारी रहेंगी और इन्हें अधिक विस्तृत किया जायगा। आशा है कि द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक इन योजनाओं के अन्तर्गत देश के प्रायः सभी देहात ग्राम आ चुकेंगे।

दूसरी योजना, प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षापूर्ण है और उसे कार्य रूप देने के लिये देश के लोगों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा। समाजवाद के नमूने पर समाज की स्थापना, राष्ट्रीय आय का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नागरकों के लिये समान अवसर—इन सभी आदर्शों को पूरा करने के लिये अभी हमें बहुत कुछ करना रहता है। परन्तु हम प्रगति के पथ को अपना चुके हैं। हमारी उन्नति के आधारभूत मापदंड सदा समाज का हित और असमता का क्रमिक निराकरण होंगे। हम अपनी यात्रा की एक मंज़िल तय कर चुके हैं और अब एक और भाग्य निर्णायक दूसरी मंज़िल की ओर बढ़ने वाले हैं। जो सफलता हम ने विगत वर्षों में प्राप्त की है, उसमें हमें संतोष होता है, आत्म-विश्वास की भावना प्राप्त होती है और भविष्य के लिये हमारे अन्दर आशा का संचार होता है। किन्तु, उन्नति करने और विश्व में शांति की स्थापना और सहयोग के लिये अपने कर्त्तव्य का पालन करने के हेतु हमारी क्षमता का आधार हमारी आर्थिक दृढ़ता और एकता होगी। राष्ट्रपिता द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमारी आस्था तथा राष्ट्रीयता भावना ही हमारी सफलता की आधार शिला बन सकती है। उस अदम्य राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सेवा की भावना के बिना, जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त कर पाये हैं, हम न उन्नति कर सकते हैं और न ही विश्व के महान कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं—दो करोड़ दस लाख एकड़ ज़मीन की नई सिंचाई, १ करोड़ टन अधिक खाद्यान्न, ३४ लाख किलोवाट नई बिजली, २ करोड़ ३० लाख टन कोयले का अधिक उत्पादन, जिससे १९६० तक कुल ६ करोड़ टन उत्पादन हो सके, इस्पात में ३३ लाख टन की वृद्धि, सीमेंट में ५२ लाख टन की वृद्धि और कृत्रिम खाद में १७ लाख टन की वृद्धि। आशा की जाती है कि नई योजनाओं के फलस्वरूप एक करोड़ आदमियों को उद्योग और कृषि में नये काम मिलेंगे।

भारत के कुछ भागों में घटी हाल की घटनाओं से मुझे भारी खेद हुआ है, जैसा कि आप सबको भी हुआ होगा। अपनी भाषा के प्रति उचित प्रेम के अतिरेक में हम में से कुछ यह भूल जाते हैं कि यह महान्

देश हम सब की मातृभूमि है और सबके लिए एक जैसी विरासत है। राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण विषय है और इस के लिये सद्बुद्धि और सहिष्णुता अपेक्षित है, किन्तु भारत और भारत के भविष्य के प्रश्न की तुलना में राज्यों की सीमा-निर्धारण का यह मामला नगण्य है। यह तथ्य सर्वोपरि है कि हम अहिंसा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय महानता सूचक मौलिक दृढ़ता के बिना अपने देश को ऊँचा नहीं उठा सकते। हाल के वर्षों में हम ने अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त की गई अपूर्व सफलताओं को देखा है। हमने कुछ पुरानी कमज़ोरियों को अपने मार्ग में आते और पृथकता तथा असहिष्णुता की भावनाओं को उभरते हुये भी देखा है। अतीत में अनेकों बार हमें संकटों का सामना करना पड़ा है और हमने उन पर विजय पाई है। अब फिर हमारे राष्ट्र और लोगों की परीक्षा का समय आया है। अपने प्राचीन आदर्शों और सिद्धातों पर चल कर ही हम सफल हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इन बातों पर व्यापक सहिष्णुता की भावना से विचार करेंगे और इस महान् देश के हित को जिसकी हम जी-जान से सेवा करना चाहते हैं, सदा सामने रखेंगे। मुझे यह भी आशा है कि यह संसद् जो भी ठीक समझ कर निर्णय करेगी, सब लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे।

जैसा आपको विदित है, भारत के पुराने इंपीरियल बैंक को राज्य बैंक बना दिया गया है और बहुत सोच विचार के बाद मेरी सरकार ने जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया है। प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में और पालिसी होलडरों के हितों के रक्षार्थ, गत मास एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके अनुसार इस व्यवसाय की व्यवस्था करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। उस अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक संसद् के समक्ष रखा जायगा। निःसन्देह यह पग जनता के और बीमा व्यवसाय के हित में सिद्ध होगा और यह हमारे समाजवादी आदर्श के अनुरूप होगा।

ग्राम-अर्थ-व्यवस्था और कृषि तथा छोटे छोटे उद्योगों में सहयोग की उन्नति को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है। खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति, उन के बनाने और उनको जमा रखने तथा बाज़ार में लाने के लिये सहयोग समितियों द्वारा उनको संगठित करने का विधेयक संसद् के समक्ष उपस्थित किया जायेगा।

राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मेरी सरकार एक विधेयक पेश करेगी। संसद् के समक्ष कई विधेयक हैं जिनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णयों के अनुसार परिगणित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन करने के हेतु एक विधान होगा। कर-जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार पर और आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के सम्बन्ध में भी विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

तीन अध्यादेश, जो संसद् के गत सत्र के बाद जारी किये गये हैं, संसद् के समक्ष रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं :

१. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५५;
२. जीवन-बीमा (संकटकालीन व्यवस्था) अध्यादेश, १९५६; और
३. बिक्री-कर कानून प्रान्यता अध्यादेश, १९५६।

१९५६-५७ के वित्तीय वर्ष का भारत सरकार का आय-व्यय-सम्बन्धी विवरण आपके सामने रखा जायेगा।

इस वर्ष हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह मनाने जा रहे हैं। आज से २,५०० वर्ष पूर्व भारत की एक महानतम विभूति, महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, जिसकी अमर स्मृति और अक्षय

संदेश आज भी विद्यमान हैं। पूर्ण सत्य और शक्ति से ओत-प्रोत व जीवित सन्देश अभी भी हमारे साथ है। विश्व क इतिहास में किसी भी समय उस सन्देश की इतनी आवश्यकता नहीं रही जितनी आज है, जबकि अणु और उद्जन बमों का भयावह संकट हमारे समाने है। मेरी कामना है कि महात्मा बुद्ध का सहिष्णुता तथा दया का वह सन्देश आपके सभी कार्यों में आपके साथ रहे।

अध्यक्ष महोदय का सन्देश

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

"प्रिय श्री उपाध्यक्ष महोदय,

मुझे आपसे यह अनुरोध करना कि अपने स्वास्थ्य की दशा के कारण लोक-सभा के वर्त्तमान सत्र के उद्घाटन के समय और उसके उपरान्त कुछ और समय के लिये उपस्थित रहने में असमर्थ होने के लिये मेरी क्षमा याचना आप कृपया लोक-सभा तक पहुंचा दें। मुझे अत्यधिक खेद है कि मैं उन कारणों से, जो मेरी शक्ति से परे हैं, लोक-सभा की सेवा न कर सकूंगा। लोक-सभा को सम्भवत: यह ज्ञात है कि गत सप्ताह मुझ पर हृद्रोग (कॉरोनरी थ्राम्बोसिस) का दौरा पड़ा था। मेरे चिकित्सकीय परामर्शदाताओं ने मुझे बिछौने पर लेटकर पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है।

इस समय यह कह सकना भी कठिन है कि मैं ठीक किस समय लोक-सभा की बैठकों में भाग ले सकूंगा।

ऐसी परिस्थितियों में, मुझे विश्वास है कि लोक-सभा मुझे उस समय तक की अवश्यम्भावी अनुपस्थिति के लिये, जब तक कि मैं पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ कर के अपने कार्य को पुन: संभाल नहीं लेता, क्षमा कर देगी।

आपका शुभेच्छु
जी० वी० मावलंकर"

क्या मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास उनके शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ के लिये लोक-सभा की प्रार्थना-पूर्ण शुभकामनायें पहुंचा सकता हूं, जिससे कि वह इस सभा और इस अध्यक्ष-पीठ पर, जिस पर वह इतने सम्मानित ढंग से आसीन हैं, लौट सकें ?

श्री नटेशन का निधन

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे लोक-सभा को श्री पी० नटेशन के, जो लोक-सभा के सदस्य थे, दुखद निधन की सूचना देनी है। वह ४ जनवरी, १९५६ को सायंकाल ५–३० बजे मद्रास में अपने निवासस्थान पर दिवंगत हो गये। उनकी आयु लगभग ६४ वर्ष थी। वह १९३७ से १९५२ तक मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे और १९५२ से लोक-सभा के सदस्य थे।

हम श्री नटेशन के निधन पर शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि लोक-सभा भी उनके परिवार को अपनी समवेदना पहुंचाने में मेरा साथ देगी।

अपना दुख प्रकट करने को लोक-सभा एक मिनट के लिये मौन खड़ी हो।

सभासद् एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

विशेषाधिकार का प्रश्न

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सचिव विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के सम्बन्ध में सूचना देंगे।

†**श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) :** इससे पूर्व कि हम कोई और कार्य प्रारम्भ करें, मैं लोक-सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध, मेरे विचार से,

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-सभा के विशेषाधिकार और संसद् के एक सदस्य के विशेषाधिकार से है। ३१ जनवरी, १९५६ के लोकसभा-समाचार के अनुसार मथुरा ज़िलाधीश ने अध्यक्ष को लोक-सभा के सदस्य बाबू राम नारायण सिंह के भारतीय दंड संहिता की धारा १२४ ए/११७ के अन्तर्गत सरकार के विरुद्ध राजद्रोहपूर्ण भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार किये जाने की सूचना दी थी। मैं लोक-सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब के उच्च न्यायालय ने मास्टर तारासिंह के मामले में यह फैसला किया था कि धारा १२४–संविधान के अनुच्छेद १९ द्वारा दिये गये मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है और अब वैधानिक नहीं रही है। यह बात अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि संसद् के किसी भी सदस्य को केवल सरकार के विरुद्ध राजद्रोहपूर्ण भाषण देने के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है तो विरोधी पक्ष के प्रायः हम सभी सदस्य बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। यह एक ऐसी बुनियादी बात है जिसका सम्बन्ध हमारे मूलभूत अधिकारों से है और इससे संसद् के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न उठ खड़ा होता है। इस पर खूब ध्यान दिया जाना चाहिये और इस मजिस्ट्रेट ने इतना भी शिष्टाचार प्रकट नहीं किया कि वह (बाबू राम नारायण सिंह) राजद्रोह के कथित आरोप में गिफ्तार किये गये हैं, वरन वह यह कहता है कि "वह सरकार के विरुद्ध राजद्रोहपूर्ण भाषण देने के लिये गिरफ्तार किये गये हैं"। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और लोक-सभा को इस पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता। इस मामले पर समुचित विचार किया जाना चाहिये। लोक-सभा से ऐसे किसी मामले पर विचार करने के लिये नहीं कहा जा सकता है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना न दी गयी हो। मैं माननीय सदस्य को यह परामर्श दूंगा कि वह इस मामले को निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैंने इस मामले का उल्लेख लोक-सभा की बैठक के पहले ही दिन कर देना उचित समझा ; अन्यथा अब बहुत देर हो गई है ऐसा कह कर इसे रोक दिया जाता। यदि आप मुझे कल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें तो मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह तो नहीं जानता कि उस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है : जब वह प्रस्तुत किया जायेगा तब मैं उस पर विचार करूंगा। अब सचिव लोक-सभा को विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के सम्बन्ध में सूचना देंगे।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि २३ दिसम्बर, १९५५ को दी गयी अंतिम सूचना के बाद से, इन विधेयकों पर, जिनको संसद् की सभाओं द्वारा पिछले सत्र में पारित किया गया था, राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान कर दी है :

१. भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५।
२. भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५।
३. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५५।
४. रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक, १९५४।
५. अनर्हता-निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधानमंडल संशोधन) विधेयक, १९५५।
६. संविधान (पंचम संशोधन) विधेयक, १९५५।
७. दिल्ली (निर्माण-कार्यों का नियंत्रण) विधेयक, १९५५।
८. बीमा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५।

---

†मूल अंग्रेजी में

९. मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
१०. मनीपुर (न्यायालय) विधेयक, १९५५ ।
११. नागरिकता विधेयक, १९५५ ।
१२. समवाय विधेयक, १९५५ ।

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगाली सेना द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझ को पुर्त्तगाली सेना द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री साधन गुप्त से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । उन्होंने और डा० लंका सुन्दरम् ने इसी सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न भी पूछे हैं । क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस समय अल्प सूचना प्रश्नों की क्या स्थिति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम निश्चय ही अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर देंगे । मैं नहीं समझता कि अभी कोई तिथि निर्धारित की गयी है ; परन्तु मेरा विचार है कि दो तीन दिनों में उसका उत्तर दे दिया जायगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अपनी सुविधा बतावें, और हम उसी के अनुसार तिथि निर्धारित कर देंगे । इस दृष्टि से कि इसी विषय पर अल्प सूचना प्रश्न पूछे गये हैं, और उनमें से एक तो उन्हीं माननीय सदस्य का है, जिन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मैं नहीं समझता कि इस पर अभी चर्चा करना आवश्यक है । यह मामला पर्याप्त समय से सभा के विचाराधीन है और समय-समय पर उठाया जाता रहा है । मुझे विश्वास है कि इसके महत्त्व और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करेगी ।

†**श्री के० के० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : क्या सरकार अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकार करती है ? समय का ही सबसे अधिक महत्त्व है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है । यह कर दिया जायगा ।

†**श्री कामत** (हैदराबाद) : मंत्रालय ने इस विषय पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है । क्या इस विज्ञप्ति की बातें सही हैं ? क्या प्रधान मंत्री उसका समर्थन करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसमें अधिकांश तथ्य दे दिये गये हैं । मैं यों ही यह नहीं कह सकता कि उस विज्ञप्ति में दिये गये वर्णन में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है । मैं अपने आपको इस वक्तव्य के सम्बन्ध में वाक्बद्ध नहीं कर सकता हूं, परन्तु मोटे तौर पर हमारे पास अभी इतनी ही सूचना है । वह दी ही जा चुकी है और मैं केवल यही कह सकता हूं कि उसी को दोहरा दूं । यदि मुझे कोई और सूचना प्राप्त हुई तो वह भी दे दी जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय विमान-नियमों में संशोधन

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, भारतीय विमान नियमों, १९३७ में और भी संशोधन करने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्रालय की इन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति, स्पष्टीकरण टिप्पणों सहित, सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७(११), दिनांक ३ दिसम्बर, १९५५ ।

(२) अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७ (८), दिनांक ८ दिसम्बर, १९५५ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२/५६]**

अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : मैं खाद्य और कृषि मंत्री की ओर से अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्रालय की इन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०८ दिनांक १६ जुलाई, १९५४ को रद्द करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६८, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ ।

(२) खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३११, दिनांक २८ अक्तूबर, १९५४ को रद्द करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६९, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-३/५६]**

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में आगे कुछ संशोधन करने वाली एक अधिसूचना संख्या ३७४०, दिनांक २० दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—४/५६]**

अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : मैं अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, खाद्य और कृषि मंत्रालय की इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) फलोत्पाद आदेश, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०८०, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५ ।

(२) खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०६, दिनांक १६ जुलाई, १९५४ को रद्द करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३८, दिनांक ८ नवम्बर १९५५ ।

(३) खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०७, दिनांक १६ जुलाई, १९५४ को रद्द करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३९, दिनांक ८ नवम्बर, १९५५ । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस—५/५६]**

आय-कर जांच आयोग सम्बन्धी अधिसूचना

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं आय पर कर (जांच अयोग) अधिनियम १९४७ की धारा ४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत आयकर जांच आयोग की नियुक्ति की अवधि को, ३१ दिसम्बर, १९५६ तक बढ़ने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या ९६, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--६/५६]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ३० जून, १९५५ को समाप्त हुये अर्ध वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--७/५६]**

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री ए० सी० गुह** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या २–सी०ई० आर०/५५, दिनांक १७ दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--८/५६]**

इस्पात के प्रतिधारण मूल्य इत्यादि पर तटकर आयोग का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मैं तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत इन पत्रों में से प्रत्येक की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के सम्बन्ध में तट कर आयोग का प्रतिवेदन (१९५५)।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१४९)/५५, दिनांक १ फरवरी, १९५६ **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--९/५६]**

ग्यारहवें सत्र की समाप्ति के बाद प्रख्यापित अध्यादेश

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १३२(२)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत संसद् के सदनों के ग्यारहवें सत्र की समाप्ति के बाद, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित इन अध्यादेशों में से प्रत्येक की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) जन प्रतिनिधान (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ की संख्या ७) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१०/५६]**

(२) जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ की संख्या १) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--११/५६]**

(३) मद्रास रेलवे यात्री सीमा कर अध्यादेश, १९५६ (१९५६ की संख्या २) **पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१२/५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) बिक्री कर विधि मान्यतादान अध्यादेश, १९५६ (१९५६ की संख्या ३)
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१३/५६]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी व्याख्यात्मक विवरण

†**श्री सत्यानारायण सिंह** : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९ के उप-नियम (२) के अनुसार जन प्रतिनिधान (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ की संख्या ७) सम्बन्धी व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और आगे संशोधन करने और भाग "ग" राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

प्रत्याभूति संविदा (विनियमन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन* के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों के संविदाओं को विनियमित कर के क्रयाविक्रयाधिकार पर रोक लगाकर तथा उससे सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था करके प्रतिभूतियों के अवांछनीय संविदाओं पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निश्चित समय को बढ़ा कर २९ फरवरी, १९५६ कर दिया जाय ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या मैं निश्चित समय के बढ़ाये जाने के लिये की गई इस मांग के कारण को जान सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई विशिष्ट कारण है ? काम कहां तक हुआ है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : हम काम को समाप्त कर चुके हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "प्रतिभूतियों के संविदाओं को विनियमित कर के, क्रयाविक्रयाधिकार पर रोक लगाकर तथा उससे सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था करके प्रतिभूतियों के अवांछनीय संविदाओं पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निश्चित समय को बढ़ा कर २९ फरवरी, १९५६ कर दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नौवहन नियंत्रण (जारी रखना)* विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नौवहन नियंत्रण अधिनियम,

---

*भारत सरकार सूचना पत्र असाधारण भाग २—उपविभाग २, दिनांक १५-२-५६ में पृष्ठ पर प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में

१९४७ को कुछ और समय तक जारी रखने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ को कुछ और समय तक जारी रखने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अलगेशन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज का कार्य समाप्त हुआ । अब लोक-सभा स्थगित होती है और कल ११ बजे म० पू० समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६ के ग्यरह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १५ फरवरी, १९५६]

राष्ट्रपति का अभिभाषण १–६

सचिव ने राष्ट्रपति द्वारा संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

अध्यक्ष महोदय की ओर से संदेश ६

उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष महोदय का यह संदेश पढ़ कर सुनाया कि वे स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वर्तमान सत्र के प्रारम्भ पर और कुछ समय बाद तक उपस्थित न हो सकेंगे।

लोक-सभा ने उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि वे अध्यक्ष महोदय को यह सूचित कर दें कि सभा उन के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ के लिये प्रार्थना करती है ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख ६

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा के एक वर्तमान सदस्य श्री पी० नटेशन के निधन का उल्लेख किया। तत्पश्चात् सभा के सदस्य सम्मान प्रकट करने के हेतु एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

विशेषाधिकार का प्रश्न ६–७

श्री एन० जी० चटर्जी ने बाबू राम नारायण सिंह को, १८ जनवरी १९५६ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२४ का ११७ के अधीन, बंदी किये जाने के विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्य से कहा कि वे प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रस्ताव की सूचना दें ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७–८

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि गत बार २३ दिसम्बर, १९५५ को जो सभा को प्रतिवेदन दिया गया था उस के बाद से निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है जो कि ग्यारहवें सत्र में संसद् के संदनों द्वारा पारित किये गये थे :—

(१) भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(२) भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(३) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(४) रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ ।
(५) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधानमंडल संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(६) संविधान (पंचम संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(७) दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) विधेयक, १९५५ ।
(८) बीमा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ ।
(९) मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(१०) मनीपुर (न्यायालय) विधेयक, १९५५ । पृष्ठ
(११) नागरिकता विधेयक, १९५५ ।
(१२) समवाय विधेयक, १९५३ ।

स्थगन प्रस्ताव ८

गोआ की सशस्त्र सेना और पुलिस द्वारा भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण के फल-स्वरूप पैदा हुई अभिकथित स्थिति के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री साधन गुप्त ने दी थी उसे उपाध्यक्ष महोदय ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि आशा है कि जल्दी ही लोक-सभा में उस विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८–१०

निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे गये :—

(१) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, संचार मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, जिनके द्वारा भारतीय विमान नियमों, १९३७ में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं :

(क) अधिसूचना सं० ए० आर०/१९३७ (११), दिनांक ३ दिसम्बर, १९५५ ।

(ख) अधिसूचना सं० ए० आर० /१९३७ (८), दिनांक ८ दिसम्बर, १९५५ ।

(२) सारभूत वस्तुएँ अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति :

(क) अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३५६८, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ जिसके द्वारा खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३३११, दिनांक १६ जुलाई, १९५५ को रद्द किया गया है ।

(ख) अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३५६८, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ जिसमें खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० २४०८, दिनांक २८ अक्तूबर, १९५४ को रद्द किया गया है ।

(३) चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३७४०, दिनांक २० दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति, जिसके अन्तर्गत चलचित्र विवाचन नियम, १९५१ में कतिपय अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं ।

(४) सारभूत वस्तुएँ अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन खाद्य और कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति :

(क) अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० २०८०, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५ जिस के द्वारा फल उत्पाद आदेश, १९५५ में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ख) अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३४३८, दिनांक ८ नवम्बर, १९५५ जिस के द्वारा कृषि अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० २४०६, दिनांक १६ जुलाई, १९५४ को रद्द किया गया है।

(ग) अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० ३४३९, दिनांक ८ नवम्बर, १९५५ जिस के द्वारा खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० २४०७, दिनांक १६, जुलाई १९५४ को रद्द किया गया है।

(५) आयकर (जांच आयोग) अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० ९६, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति जिस के द्वारा आयकर जांच आयोग की नियुक्ति की तिथि बढ़ाकर ३१ दिसम्बर, १९५५ कर दी गई है।

(६) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत पुनर्वास वित्त प्रशासन के, ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(७) केन्द्रीय उत्पादन और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन अधिसूचना संख्या २-सी० ई० आर०/५५, दिनांक १७ दिसम्बर, १९५५ की एक प्रति।

(८) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति :—

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५)।

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प सं० एस० सी० (ए)-२ (१४९)/५५, दिनांक १ फरवरी, १९५६।

(९) संसद् की सभाओं के ग्यारहवें सत्र की समाप्ति के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों में से प्रत्येक की एक प्रति।

(क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का सं० ७)

(ख) जीवन बीमा (आपात कालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का सं० १)

(ग) रेलवे यात्रियों पर मद्रास सीमा कर अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का सं० २)

(घ) बिक्री कर विधि मान्यीकरण अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का सं० ३)

(१०) प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम ८९ के उपनमिय (२) के अनुसरण में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का सं० ७) के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति।

पृष्ठ

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत ११

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि ११

श्री बी० आर० भगत ने प्रस्ताव किया कि प्रतिभूति संविदा (विनियम) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये निश्चित किये गये समय को २९ फरवरी १९५६ तक बढ़ा दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुर:स्थापित ११–१२

नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक ।

M73LSD—Pt.II—190—17-9-57—GIPF